

मध्यप्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
बल्लभ, भवन नंत्रालय-462004

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक ५/०७/२०२१

क्रमांक ८४५/९५/सीसी/२०२१/अड्डीस : राज्य शासन एतद् ह्वारा सत्र २०२१-२२ के लिये मध्यप्रदेश के शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रदेश नियम, मार्गदर्शी सिद्धांत, अकादमिक कैलेण्डर एवं ऑनलाइन प्रवेश समय-सारणी जारी किये जाते हैं।

सलग्न— प्रदेश नियम/मार्गदर्शी सिद्धांत

*dl*, ५/०७  
(श्रेत्री पदार) उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृष्ठमार्क ८४५/९५ / सीसी/२०२१/अड्डीस

भोपाल, दिनांक ५/०७/२०२१

प्रतिलिपि :

१. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजागवन राजिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल, म.प्र।
२. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा, म.प्र।
३. स्टाफ आफीसर, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
४. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. सतपुड़ा भवन, भोपाल।
५. अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल, म.प्र।
६. कुलसचिव, समस्त परम्परागत विश्वविद्यालय, भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा/  
उज्जैन/छतरपुर एवं छिंदवाड़ा, म.प्र।
७. कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, म.प्र।
८. रामस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र।
९. सी.ई.ओ एम.पी.ऑनलाइन, द्वितीय तल डी.बी.मॉल, एम.पी.नगर भोपाल म.प्र. की ओर कार्यवाही हेतु।
१०. प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, म.प्र।
११. प्रमारी आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा, म.प्र., सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर वेबसाइट पर  
अपलोड करने हेतु।  
..... की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।

*dl*  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

**28. आरक्षण :-**

मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप आरक्षण निम्नानुसार होगा :-

- 28.1** आरक्षित श्रेणी का योई उम्मीदवार यदि अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी/ओपन प्रतिरक्षणी में नियमानुसार मेरिट रूटी ने आता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें अप्रभावित रहेंगी। परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी अन्य संघर्ष जैसे—स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का है तो सबधित संघर्ष की सीट उस विशिष्ट आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जाएगी। सबधित विशिष्ट संघर्ष की शेष सीटें पात्रानुसार भरी जायेंगी।
- 28.2** अनुसृचित जाते (अ.ज.जा.) एवं अनुसृचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमशः 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।
- 28.3** पिछडे वर्ग (छीमी-लेपर छाड़कर) के आवेदकों के लिये 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 349 भोपाल दिनांक 14.08.2019 में प्रकाशित संशोधन क्रमांक 13681-227-इकीस-अ (प्रा.) अधि. दिनांक 13.08.2019 द्वारा संशोधित आदेश पर यादिका क्रमांक उल्लिखी पी. 5901/2019 के अंतर्गत मानवीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अधीन लागू किया जायेगा)
- 28.4** स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातियों/नातिनों, भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान शीरणी को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से निश्चक्त हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों एवं भूतपूर्व तथा कार्यरत सेना के जनियों (Defence personnel) के आश्रितों/सेन्ट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बच्चों के लिए तथा इन वर्गों के दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 05 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। इससे सन्बद्ध दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों जो ग्राम्यालोकों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर, तीन वर्गों का समिलित नुमानुक्रम निर्धारित किया जाए, परन्तु यह आरक्षण संबधित संघर्ष के लिए आरक्षित स्थानों से ही उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों/अधिकारियों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा—

1. युद्ध के दौरान शहीद की विधवा एवं उनके आश्रित।
2. युद्ध के दौरान रथायी रूप से अपंग कार्यरत सैनिकों एवं उनके आश्रित।
3. शांति के दौरान सेवाकाल में शहीद के आश्रित।
4. शांति के दौरान सेवाकाल में रथायी रूप से निश्चक्तजन तथा उनके आश्रित।
5. निम्न शीर्ष पदकों से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के आश्रित—परमवीर चक्र, अशोक चक्र, राष्ट्रीय युद्ध सेवा मेडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मेडल, दीर्घ चक्र, शीर्ष चक्र, युद्ध सेवा मेडल सेना नासना/वायु सेना मेडल पत्रों में उल्लेख।
6. राष्ट्रपति के वीरता हेतु पुलिस मेडल।
7. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित।
8. कार्यरत सैनिकों के आश्रित।

- 28.5** दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे परन्तु यह आरक्षण संबधित संघर्ष के लिये आरक्षित स्थान से ही उपलब्ध कराया जायेगा। दिव्यांगों को प्रदेश के समय अहतादायी अंकों में 5 प्रतिशत की छृट दी जायेगी। दिव्यांग आवेदकों को जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र (जिसमें 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता का उल्लेख हो) पंजीयन के समय अपलोड करने पर इस श्रेणी का लाभ लिया जा सकेगा।
- 28.6** आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS- Economically Weaker Section) :- आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सामान्य प्रशासन दिवांग के आदेश क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 एवं आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 444/243/आउशि/शा.-5'आ/2019 भोपाल दिनांक 15 जुलाई 2019 के अनुक्रम में दिया जायेगा।
- 28.7** एन.सी.सी. री. प्रमाण-पत्र उत्तीर्ण आवेदकों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालय में स्वीकृत स्थान का 1 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा।
- 28.8** सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

**प्रश्न 62 सर्टिफिकेट कोर्स की चयन प्रक्रिया क्या होगी ?**

**उत्तर** यिश्वविद्यालय/महाविद्यालय रतर पर संचालित छः माह के सर्टिफिकेट कोर्स में संरथा में प्रवेशित नियमित विद्यार्थी ही प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे विद्यार्थियों की जानकारी महाविद्यालय रतर से सर्टिफिकेट कोर्सियार ऑनलाइन पोर्टल पर प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के 30 दिवस की समयावधि में अद्यतन करना अनिवार्य होगा।

**प्रश्न 63 हितयाही योजना परिवर्तन किस प्रकार किया जा सकता है ?**

**उत्तर** ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात् उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा में विद्यार्थी प्रवेशित महाविद्यालय में पात्रता अनुसार मुख्यमंत्री भेदावी विद्यार्थी योजना/मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना/ मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना में परिवर्तन कर सकेंगे। योजना परिवर्तन करने पर नियमानुसार प्रवेश शुल्क जमा/वापसी करना अनिवार्य होगा।

**प्रश्न 64 प्रवेश पश्चात् विषय/पाठ्यक्रम/संकाय परिवर्तन की प्रक्रिया क्या होगी ?**

**उत्तर** ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात् उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा में प्रवेशित महाविद्यालय में विद्यार्थियों हेतु पात्रता अनुसार संबंधित संकाय/कक्षा/विषय में स्थान रिक्त होने पर परिवर्तन संबंधी कार्यवाही की जायेगी, निर्धारित समय सीमा में विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय रतर पर प्रस्तुत आवेदनों पर पात्रता/गुणानुक्रम का उल्लंघन न होने की शर्त पर विषय/ पाठ्यक्रम/ संकाय में परिवर्तन की कार्यवाही की जा सकेगी।

**प्रश्न 65 क्या स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष/तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर हेतु ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया होगी ?**

**उत्तर** सत्र 2021-22 में स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष/तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर हेतु ऑनलाइन प्रवेश नवीनीकरण की प्रक्रिया होगी, महाविद्यालय द्वारा पात्र विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्रमोट किया जाएगा, तत्पश्चात् विद्यार्थी ई-प्रवेश पोर्टल पर नामांकन क्रमांक दर्ज कर फीस भुगतान कर प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।

dl  
15/07/21